



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 290 राँची, गुरुवार,

16 जून, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

1 जून, 2022

सं०-10/विविध-815 (खण्ड-I)/2021- 2172--गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-2502, दिनांक-14.07.2021 द्वारा झारखण्ड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु एक त्रिसदस्यीय आयोग का कठन किया गया है एवं अधिसूचना संख्या-3689, दिनांक-27.09.2021 द्वारा इस आयोग के सदस्य के रूप में श्री नरसिंह मुर्मू, पिता- स्व० शुकु मुर्मू, ग्राम-सिमलगढ़ा, पोस्ट-चापुड़िया, थाना-खागा, जिला-देवघर एवं श्री भुवनेश्वर महतो, पिता-स्व० मनीकराम महतो, ग्राम-बाघमारा, पोस्ट-गोपीनाथपुर, जिला-पश्चिमी सिंहभूम को नियुक्त किया गया है ।

(2) राज्य सरकार के निर्णयानुसार उक्त दोनों सदस्यों को झारखण्ड/वनांचल आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं जय प्रकाश नारायण आंदोलन के आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के निमित्त पूर्व गठित त्रिसदस्यीय आयोग के सदस्यों के सादृश्य वेतनादि का निर्धारण मासिक दर पर निम्नरूपेण किया जाता है:-

क्र०	मद	राशि
1.	वेतन	8000 रुपये
2.	मकान किराया भत्ता	4600 रुपये
3.	चिकित्सा भत्ता	2000 रुपये
4.	CNA	2000 रुपये
5.	SMA	8000 रुपये
कुल :-		24600 रुपये

(3) सरकारी आवास की उपलब्धता की स्थिति में मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा ।

(4) इस पर होने वाले व्यय का वहन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थापना मद से किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
